

# कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)  
पत्रांक 2057 / 14-1 अलीगढ़, दिनांक, दिसम्बर: 21, 2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्पोरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन0एच0-80) किमी0 05 दायीं पटरी खसरा सं0-30 ग्राम-दौलतादाबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।

( प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others/26736/2017)

सन्दर्भ:-

अनु सचिव उ0प्र0 उ0प्र0 शासन की शासकीय पत्र संख्या-3443/81-2-2023-800(144)/2019 दिनांक 08.11.2023 व आपका पत्रांक-1235/11-सी-FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक 09.11.2023 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक-2062/14-10 दिनांक 30.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ0प्र0 उ0प्र0 शासन के संदर्भित शासकीय पत्र पत्र से लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक-2298/14-10 दिनांक 19.12.2023 से आख्या/सूचना संलग्न कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नवत संस्तुति सहित प्रेषित है-

क्र0सं0	आपत्ति	उत्तर
1	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्या दिनांक 02.08.2023 से विदित हो रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी ने बिना सक्षम स्तर से अनुमति के आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। क्या इस पर परिणात्मक कार्यवाही की पुष्टि हुई?	<p>प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना रिटेल आउटलेट की स्थापना कराये जाने के फलस्वरूप निम्न प्रकार परिणात्मक कार्यवाही की गयी।</p> <p>(1) उल्लंघन हेतु दोषी एजेन्सी/व्यक्ति के विरुद्ध रेंज केस सं0 23/अलीगढ़/17-18 दिनांक 07.09.2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-32/33 के तहत वन अपराध दर्ज किया गया। (संलग्नक-1)</p> <p>(2) विषयक निर्गत एच0-2 केस को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अर्थ दण्ड के साथ दण्डित करते हुए, केस को निस्तारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न हैं। (संलग्नक-2)</p> <p>(3) प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक प-35/11-2 दिनांक 03.05.2005 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में निर्गत निर्देशानुसार 04 बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या। (संलग्नक-3)</p> <p>(4) भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु सं0 बी(3) में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से वसूल किये जाने वाली मानक एन.पी.वी. के अतिरिक्त दण्डात्मक पाँच गुना एन.पी.वी. की धनराशि रू0 90201/- प्रस्तावित की गयी है। गणना शीट संलग्न है। (संलग्नक-4)</p> <p>(5) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन करने की दशा में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1163/14-1 दिनांक 01.10.2019 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। (संलग्नक-5)</p>

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-1 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में प्रेषित।
2. प्रतिलिपि-प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम0डी0), मुरादाबाद मंडल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0एच0-24, पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

# प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक २२१४/१४-१०, अलीगढ़: दिनांक: दिसम्बर, १९, २०२३

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड़ (एन०एच०-८०) कि०मी ०५ दांयी पटरी खसरा सं०-३० ग्राम दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७५९५ है० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-३४४३/८१-२-२०२३-८००(१४४)/२०१९ दिनांक ०८.११.२०२३ एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-१२३५/११ सी-FP/UP/Others/२६७३६/२०१७ दिनांक ०९.११.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों एवं आपके संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का समेकित रूप से निम्न प्रकार निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेख/सूचना अपलोड कर संस्तुति सहित प्रेषित है-

क्र.सं.	आपत्ति	उत्तर
१.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ की आख्या दिनांक ०२.०८.२०२३ से विदित हो रहा है कि प्रयोक्ता एजेन्सी ने बिना सक्षम स्तर से अनुमति के आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर वन (संरक्षण) अधिनियम-१९८० के प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है। क्या इस पर परिणात्मक कार्यवाही की पुष्टि हुई ?	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना रिटेल आउटलेट की स्थापना कराये जाने के फलस्वरूप निम्न प्रकार परिणात्मक कार्यवाही की गयी। (१) उल्लंघन हेतु दोषी एजेन्सी/व्यक्ति के विरुद्ध रेंज केस सं० २३/अलीगढ़ /१७-१८ दिनांक ०७.०९.२०१७ द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १९२७ की धारा-३२/३३ के तहत वन अपराध दर्ज किया गया। (संलग्नक-१) (२) विषयक निर्गत एच०-२ केस को मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अर्थ दण्ड के साथ दण्डित करते हुए, केस को निस्तारित किया गया है। सम्बन्धित अभिलेख संलग्न हैं। (संलग्नक-२) (३) प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक प-३५/११-२ दिनांक ०३.०५.२००५ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के उल्लंघन के विषय में निर्गत निर्देशानुसार ०४ बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या। (संलग्नक-३) (४) भारत सरकार के पत्र दिनांक २९.०१.२०१८ के बिन्दु सं० बी(३) में वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के उल्लंघन के विषय में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल किये जाने वाली मानक एन.पी.वी. के अतिरिक्त दण्डात्मक पाँच गुना एन.पी.वी. की धनराशि रु० ९०२०१/- प्रस्तावित की गयी है। गणना शीट संलग्न है। (संलग्नक-४)

J. Man  
आ०का०कर


वन संरक्षक

२०/१२/२३

(5) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन करने की दशा में वन सचिव, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1163/14-1 दिनांक 01.10.2019 द्वारा नोटित निर्गत किया गया। (संलग्नक-5)

उपरोक्तानुसार।


भवदीय,

  
(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-10 समदिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, ख्वाजा फिलिंग स्टेशन के पीछे, एन0एच0-24, पकवाड़ा, मुरादाबाद-244102। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रमाणीय बाद सं. 163/अ.स.ग. 17-18

13142

वन विभाग उ०प्र० परिधि (सर्किल) वृज भूमि क्षेत्र, आगरा खण्ड (डिवीजन) अलीगढ़

अन्य अपराध 32(C), 32(K), 32(L) प्रसूचना (रिपोर्ट) सं. दिनांक 7-09-2017 अधिक्षेत्र राजि. अलीगढ़

1- नाम, पिता का नाम और निवास-स्थान M/S प.पू.पा.स्ट. अलीगढ़- डुंगलासमार्ग (P.M.5) रजि.पत्र

2- साक्षी का नाम श्री आशीष कुमार वनरक्षक पाना- सासना गेट तहसील- कौल जिला- अलीगढ़

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

4- मूल्य

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यारे और प्रमाण आदि का उल्लेख

विना वन विभाग अलीगढ़ की अनुमति के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का संचालन करवाया गया। रा.सं. 11:30 AM दिनांक 7-09-2017

संदर्भ:- आज दिनांक 7-09-2017 को मैं

रा.सं. 11:30 AM हम रजि. आशीष कुमार वनरक्षक के साथ अलीगढ़- डुंगलासमार्ग पर गपूत में जा पहुँचे। तब वहाँ का P.M.5 रजि.पत्र पर पेट्रोल भराने पर पेट्रोल पंप स्थापित कर दिया गया है। हम लोगों ने पेट्रोल पंप स्थापित करने की अनुमति के बिना वन विभाग की अनुमति के बिना ही पेट्रोल पंप स्थापित करवाया है, जो कि गैर कानूनी है। उक्त अनुमति के अभाव में वन विभाग की अनुमति के बिना ही पेट्रोल पंप स्थापित करवाया है, जो कि गैर कानूनी है। उक्त अनुमति के अभाव में वन विभाग की अनुमति के बिना ही पेट्रोल पंप स्थापित करवाया है, जो कि गैर कानूनी है।

साक्षी का नाम आशीष कुमार

हिलेम अतः प्रमाण अलीगढ़ को प्रचनार्थ एवं आवाज हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी अलीगढ़ जेन

पुष्पिका (रजि.पत्र) वनरक्षक

अलीगढ़- डुंगलासमार्ग तहसील- कौल अलीगढ़- जेन

पत्रांक 854 / 35-3 दि० 12/9/17

क्षेत्रीय वनाधिकारी इलाहाबाद

103/अमरा/17-18

23/अलाहाबाद/17-18

सि.स. रीजिस्टर्ड कर व आपदा निराकरण

अन्तिम जाँच आदेश प्रस्तुत

12.9.17

Chief Director  
Special Forestry Division  
ALIGARH

पत्रांक

अलाहाबाद-उत्तराखण्ड  
विद्युत विभाग  
अलाहाबाद-201001  
M-9411629665



CARD. 7370/18  
Cats w/ कडी  
05 32 वग इदि  
(देने वाले के लिए)  
N. साहिबगोट

पुस्तक-सं०

रसीद-संख्या

0459841

से

कडी

रुपया

की धनराशि (रु 1000/-) प्राप्त हुई।

सन् 2020 ई० 03 के दिवस को 12

दिनांकित।

(हस्ताक्षर) अध्यासीन पदाधिकारी  
12/3/2020  
Mugan

चा या प्रति प्रमाणित

नारायण निदेशक  
सामाजिक बालिका प्रध्या  
Mugan इलीमट

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस०एच०-८०) किमी० ०५ दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं० ३० हेतु प्रस्तावित ०.०७५९५ है० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु बिना सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० के उल्लंघन से सम्बन्धित ०४ बिन्दुओं की रिपोर्ट।

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस०एच०-८०) किमी० ०५ दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं० ३० हेतु प्रस्तावित ०.०७५९५ है० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव Proposal No. : **FP/UP/Others/26736/2017** प्रकिया पूर्ण करने से पूर्व गैर वानिकी प्रयोग कर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में ४ बिन्दुओं पर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है।

- (1) स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, स्थल का विवरण, मानचित्र, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण:-
  - (A) स्थल का विवरण- अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस०एच०-८०) किमी० ०५ दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं० ३०, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़।
  - (B) भूमि का क्षेत्रफल- ०.०७५९५
  - (C) मानचित्र- प्रस्तावित स्थल का मानचित्र प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही संलग्न है।
  - (D) अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण- प्रकरण में कोई भी वृक्ष बाधक नहीं था। अतः अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।

2. रिपोर्ट:- एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेंगे जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होंगे जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने संस्था के रिटेल आउटलेट हेतु अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस०एच०-८०) किमी० ०५ दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं० ३० पर सम्पर्क मार्ग का बिना भारत सरकार की अनुमति के किये जाने के फलस्वरूप मौका निरीक्षण कर, अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं० २३/अलीगढ़/१७-१८ दि० ०७.०९.२०१७ जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी। अतः प्रकरण में निम्न अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

1. श्री राजीव टण्डन - प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० (एम०डी०), मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने, दिल्ली रोड, एन०एच० २४, पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद।

3. वन संरक्षण अधिनियम-१९८० के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण-

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर, किये जाने के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० का उल्लंघन किये जाने पर अलीगढ़ रेंज द्वारा एच० २ केस सं० २३/अलीगढ़ /१७-१८ दि० ०७.०९.२०१७ द्वारा केस इजरा किया गया है। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर संरक्षित वन भूमि ०.०७५९५ हे० पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है। प्रश्नगत प्रकरण में निर्गत एच०-२ केस सं० २३/अलीगढ़/१७-१८ दि० ०७.०९.२०१७ को मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को प्रेषित किया गया। मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अर्थ दण्ड के साथ दण्डित करते हुए, केस को निस्तारित किया गया है।

4. यदि किसी भूल-चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी-

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2017 में प्रेषित किया गया। प्रेषित प्रस्ताव पर प्रयोक्ता अभिकरण के साथ प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर, उचित कार्यवाही करने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज को निर्देशित किया गया। प्रस्तावित स्थल के निरीक्षण में भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर, संचालित होना पाया गया। जोकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है। उल्लंघन पाये जाने पर कार्यवाही स्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी के विरुद्ध एच02 केस इजरा किया गया। इस सम्बन्ध में पुष्टि हेतु तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 30.08.2019 द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया एवं पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिना सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये ही, रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन पाया गया। चूंकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसीलिए स्पष्ट है, कि प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। अतः प्रकरण में किसी भी प्रकार की भूल-चूल होने की सम्भावना नगण्य है।

(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में Penalty की प्रस्तावित गणना

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 05 दांयी पटरी पर ग्राम दौलताबाद के खसरा सं0 30 में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति के कार्य पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। उल्लंघन के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-42/2017-FC दिनांक 21.01.2018 द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निम्न प्रकार Penalty का प्राविधान किया गया है।

B. In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC:

i- The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspecting officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.

ii- In case of public utility projects of the government, penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.

1. प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रस्तावित एन0पी0वी0- प्रभावित वन भूमि (0.07595) X 9,57,780 =	72,743.00
2. प्रस्ताव के प्रकिया में होने के अन्तर्गत उल्लंघन किये जाने के कारण - 5 x 72,743 =	3,63,715.00
(वर्ष 2013 से उल्लंघन हेतु- अधिकतम 5 गुना)	
3. 12 प्रतिशत Simple Interest= 3,63,715 x 12% =	43,646.00
4. पांच वर्ष की एन0पी0वी0 पर एक वर्ष का ब्याज (43646/5) =	8729.00
5. नौ वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज (8729 x 10) =	87,290.00
6. पांच वर्ष की एन0पी0वी0, आठ वर्ष की एन0पी0वी0 का ब्याज =	4,51,005.00
(363715 + 87290)	
7. Public Utility Project होने के कारण, कुल आगणित दण्डात्मक एन0पी0वी0 का 20 प्रतिशत =	90,201.00
(नब्बे हजार दो सौ एक मात्र)	



(दिवाकर कुमार वशिष्ठ)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

AB

# कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: /14-1, दिनांक: अलीगढ़: 01-10-2019

## वन (संरक्षण) रूल्स, 2003 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत नोटिस

सेवा में,

श्री राजीव टण्डन  
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स),  
इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० (एम०डी०),  
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय,  
कोल्ड स्टोरेज के सामने, दिल्ली रोड़, एन०एच० 24,  
पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद।

विषय :  
संदर्भ:

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने की दशा में वन (संरक्षण) नियमावली के अन्तर्गत नोटिस।  
प्रभागीय निदेशक, सी०वा० प्रभाग, अलीगढ़ का पत्र सं० 1174/14-10 दिनांक 28.09.2019।

आप की संस्था द्वारा श्रीमती नाजरीन पत्नी मोहम्मद कादिर, मकान सं० 5, सागर कॉम्प्लेक्स, अनुपशहर रोड़, अलीगढ़-202001 को Letter of intent- 2013/IN000295/UP/000048/1506/00010 dated 13.08.2013 द्वारा अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस०एच०-80) किमी० 05 दायीं पटरी खसरा सं० 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित प्रस्ताव, वर्ष 2013 में ऑफलाइन मोड से प्रभागीय कार्यालय में प्रेषित किया गया था। जिसको संस्तुति सहित वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को प्रेषित किये जाने पर, पत्र सं० 1644/14-1 दि० 18.11.2013 द्वारा प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियों का निराकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रभाग को वापस कर दिया गया। जिस पर प्रभागीय स्तर से निरंतर पत्राचार किये जाने के बाद भी आपके द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियों के निराकरण की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके कारण प्रस्ताव के निराकरण में विलम्ब होने के कारण, नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा ऑफलाइन मोड से प्राप्त सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का निर्देश दिया गया एवं मौका निरीक्षण पर पाया गया कि आपके द्वारा इस वन प्रभाग की लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किये बिना एवं नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बगैर संरक्षित वनक्षेत्र में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया, जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन है।

वन कर्मियों के क्षेत्रीय निरीक्षण दिनांक 07.09.2017 के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस०एच०-80) किमी० 05 दायीं पटरी खसरा सं० 30, ग्राम-दौलताबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ पर सक्षम स्तर से पूर्वानुमति के बिना रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने पर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा रेंज केस सं० 23/अलीगढ़/17-18 दि० 07.09.2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 32(g), 32 (k), 32 (i), 33 (c), 33 (1H) एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत जारी किया गया। उक्त तथ्य का प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 30.08.2019 को स्वयं निरीक्षण कर पुष्टि की गयी है।

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में गैर वानिकी कार्य भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है एवं आपकी संस्था द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निर्माण कार्य करके न सिर्फ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 32/33 का वरन् वन संरक्षण अधिनियम 1980 का भी उल्लंघन किया गया है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि 60 दिनों के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में धारा-3बी में आपके विरुद्ध बाद चलाया जाय? निर्धारित अवधि तक उत्तर प्राप्त न होने पर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

प्रभागीय निदेशक अलीगढ़

कमरांक 2637

पत्रांक 14-1

दिनांक 04-10-19

(वी०के० मिश्र)

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

प्रभागीय निदेशक

पत्रांक 1163 /14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी०के० मिश्र)

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।